"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2009—श्रावण 23, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 6-12/2009/1/एक.— राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री प्रदीप कुमार देशपाण्डे, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 25-6-2009 से 2-7-2009 तक 08 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2009

क्र. 5264/1756/21-ब/छ. ग./2008-09.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. आर. उइके, द्वारा नोटरी तहसील उत्तर बस्तर कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर नोटरी द्वारा नोटरी का कार्य बंद कर दिये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2009

क्र. 5265/1787/21-ब/छ. ग./2009.— राज्य शासन, एतद्द्वारा स्व. श्री रामकिशोर श्रीवास्तव, नोटरी तहसील सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा से नोटरी के पद पर रहते हुये स्वर्गवास होने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 5-10/खाद्य/2009/29.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री महेन्द्र कुमार राठौर, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम राजनांदगांव को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ तदर्थ रूप से आगामी आदेश तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम दुर्ग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम दुर्ग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है.

2. उपरोक्त आदेश दुर्ग में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर नियमित नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जावेगा.

3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक/एफ-1-17/2009/स्था/चार.— भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पत्र संख्या डीबीओडी (बीपीएल) सं. बीएल 16819/22-03-001/2008-09 दिनांक 18 अप्रैल 2009 द्वारा स्वीकृति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखा को जिला कोषालय रायपुर से उद्भूत शासकीय प्राप्तियों, भुगतान के संव्यवहार

हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक, विशेषीकृत शासकीय व्यवसाय शाखा, रायपुर मुख्य शाखा परिसर जिला रायपुर.

No./F-1-17/2009/ESTT./IV.—In Pursuance of R. B. I.'s approval, vide their letter No. Dated DBOD (BPL) No. 16819/22.03-001/2008-2009 April 18, 2009, Government of Chhattisgarh, hereby authorise the S. B. I. branch referred below, for Govt. receipts and payments transactions arising out of Distt. treasury Raipur, in replacement of S.B.I. main branch, Raipur.

(1) State Bank Of India, Specialized Government Business Branch Raipur, Main branch premises District Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. बी. काले, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि/05.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्तक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 13 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 25-06-2009 से 24-06-2010 की कालावधि के दौरान परिवहन उपनिरीक्षक एवं परिवहन आरक्षक की सीधी भर्ती के मामले में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत होगा."

No. F 1-15/Two/Eight-Trans./05.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment to the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate Class III (executive) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

After Sub-rule (7) of rule 13, the following para shall be inserted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in the Chhattisgarh Civil Service (Special provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, the reservation for women candidates in case of direct recruitment of Transport sub-Inspector and Transport Constable during the period of 25-06-2009 to 24-06-2010 shall be 10 percent."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ— (1)** यह छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये "राजपत्र" में अनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं — (1)** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का सं. 67);

(ख) **"प्राधिकृत अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, इन नियमों के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त करें;

(ग) **"जांच चौकी"** से अभिप्रेत है, खनिज परिवहन कर रहे वाहनों में खनिज की मात्रा एवं अभिवहन दस्तावेजों की वैधता की जांच हेतु खनिज साधन विभाग द्वारा स्थापित की गई जांच चौकिया;

(घ) **"कलेक्टर"** तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाला "अतिरिक्त कलेक्टर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (1959 का सं. 20) में दिए गये है;

(ङ) **"संचालक"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़;

(च) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार का खनिज साधन विभाग;

(छ) **"प्रारूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(ज) **"जांच चौकी प्रभारी"** से अभिप्रेत है, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वार किसी जांच चौकी हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी;

(झ) **"पट्टा (लीज)"** से अभिप्रेत है, खनिज एवं खनिजों के दोहन के प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई मायनिंग लीत तथा क्वारी लीज;

(ञ) **"खनिज"** का वही अर्थ होगा, जैसा कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में समनुदेशित है;

(ट) **"खनिज रियायत"** से अभिप्रेत है, अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रारंभिक सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र (रिकोनेसन्स परमिट), पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, मायनिंग लीज;

(ठ) **"खनि अधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिला कार्यालय स्थित खनिज शाखा में पदस्थ भारसाधक उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी;

(ड) **"खान स्वामी"** के अंतर्गत पट्टाधारी या पट्टाधारी द्वारा प्राधिकृत प्रबंधक या ऐसा कोई व्यक्ति आता है, जो उसकी ओर से काम करने के लिये लिखित में प्राधिकृत हो;

(ढ) **"नियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का सं. 67) की धारा 23 (सी) के अंतर्गत बनाये गये नियम;

(ण) **"वैज्ञानिक परीक्षण"** से अभिप्रेत है, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की प्रयोगशालाओं अथवा भारत सरकार के किसी अन्य प्रयोगशालाओं में खनिज के रासायनिक विश्लेषण की जॉच;

(त) **"धारा"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(थ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(द) **"भण्डारण"** से अभिप्रेत है, खनिपट्टा क्षेत्र (लीज क्षेत्र) से खनिज निकालने के पश्चात् गंतव्य तक परिवहन के दौरान किसी अन्य स्थान पर खनिज का अस्थायी भण्डारण;

(ध) **"भण्डारण अनुज्ञापत्र"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन ऐसी अनुज्ञापत्र जो संबंधित जिले के क्षेत्रीय अधिकारिता में कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति/कंपनी को किसी भी खनिज के अस्थायी भंडारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग हेतु जारी की गई हो;

(न) **"अभिवहन पास"** से अभिप्रेत है, खनिजों के विधिपूर्वक परिवहन करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया पास;

(प) **"वाहन"** से अभिप्रेत है, रेल्वे वैगन, आकाशीय रज्जु मार्ग (एरियल रोप–वे), कनवेयर बेल्ट को छोड़कर, ऐसा कोई भी साधन जिसके द्वारा किसी खनिज/खनिजों का या उसके उत्पादों का, उसके प्राप्त करने के स्थान से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है;

(फ) **"तौल कांटा (वे ब्रिज)"** से अभिप्रेत है, परिवहन किये जा रहे खनिजों की मात्रा मापनें के लिए लगायी गयी तौल मशीन;

(ब) सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिनका प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें पारिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या उसके अधीन क्रमशः समनुदेशित है।

2. **प्रतिषेध.– (1)** कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन विधिमान्य अभिवहन पास के बिना किसी खनिज/अयस्क या/तथा उसके/उनके प्रसंस्करित उत्पाद को, उनके खनन/उत्खनन/भण्डारण /प्रसंस्करण स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी वाहन द्वारा अथवा अन्यथा न तो परिवहन करेगा और न परिवहन कराएगा;

परन्तु उस दशा में कोई अभिवहन पास अपेक्षित नहीं होगा, जब किसी खनिज/खनिजों का या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का खनिपट्टा क्षेत्र से रेल या आकाशीय रज्जू मार्ग (एरियल रोपवे) या कनवेयर बेल्ट के माध्यम से सीधा परिवहन किया जा रहा हो तथा परिवहन किये गये खनिज के साथ देयक/इनवायस, पट्टेधारी द्वारा प्रदाय किया गया हो, जिसमें प्रेषण (डिस्पेच) का दिनांक, समय, परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा एवं विवरण, गंतव्य स्थान तथा उस पार्टी का नाम जिसे खनिज भेजा जा रहा है या अन्य कोई विधिसम्मत दस्तावेज जो परिवहन किये गये खनिज की वैधता सिद्ध करते हो, साथ में हो;

(2) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्राप्त वैध "भण्डारण अनुज्ञापत्र" धारण किए बिना खनिज/खनिजों का खनिपट्टा क्षेत्र से बाहर या गन्तव्य स्थान से अन्यत्र प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भंडारण/बेनिफिकेशन/क्रशिंग हेतु सयंत्र की स्थापना नहीं करेगा।

अध्याय—दो
खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास की व्यवस्था

3. **खनिज तथा उनके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन.—** (1) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके निर्मित नियमों के तहत् स्वीकृत लीज क्षेत्र में समस्त खनिज तथा अयस्क का अभिवहन (रेल या आकाशीय रज्जू मार्ग (रोप—वे) या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीधे किये गये अभिवहन को छोड़कर) इन नियमों में संलग्न प्ररूप—1 के अधीन जारी अभिवहन पास के साथ ही किया जावेगा। लीज क्षेत्र के बाहर, स्थापित रेल्वे साईडिंग या प्रसंस्करित संयंत्र में खनिज या अयस्क का अभिवहन भी वैध अभिवहन पास के साथ ही किया जावेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में संचालक, इस हेतु विशिष्ट कारण का उल्लेख करते हुए, इस प्रतिबंध से छूट प्रदान कर सकेगा।

रेल या आकाशीय रज्जू मार्ग (रोप—वे) या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीधे अभिवहन किये गये खनिज के साथ देयक/इनवायस, पट्टेधारी द्वारा प्रदाय किया जायेगा, जिसमें परिवहन का दिनांक, समय, परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा एवं श्रेणी, गंतव्य स्थान तथा उस पार्टी का नाम जिसे खनिज भेजा जा रहा है या अन्य कोई विधि सम्मत दस्तावेज जो परिवहन किये गये खनिज की वैधता सिद्ध करते हो, साथ में रहेंगे।

(2) (एक) खनिज लीज धारक, लीज क्षेत्र से किसी खनिज या उसके प्रसंस्करित उत्पाद का अभिवहन करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्ररूप—2 में आवेदन करेगा, तथा आवेदन पत्र के साथ तीन माह की अपनी अधिकतम आवश्यकता के अनुसार, निर्धारित लेखा शीर्ष में राशि जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर अभिवहन पास पुस्तिकाएं प्राप्त करेगा।

(दो) अभिवहन पास पुस्तिका की कीमत तथा उसके आधार पर परिवहन किये जाने वाले खनिज पर देय रायल्टी, उसी रीति में जमा की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित की गई है।

(तीन) प्रत्येक पास (लीज), अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर), लीज स्थल/अस्थाई भण्डारण स्थल से खनिज का परिवहन कर रहे वाहन चालक को अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(चार) अभिवहन पास मुद्रित कराये जाने एवं जारी किये जाने की प्रक्रिया संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(3) खनिज तथा उसके प्रसंस्करित उत्पाद का परिवहन कर रहे वाहन को रोकने तथा निरीक्षण करने तथा अधिनियम व नियमों के तहत् कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं:—

अनुसूची

स.क्र.	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
(एक)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	सम्पूर्ण राज्य
(दो)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में पदस्थ अपर संचालक/संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	सम्पूर्ण राज्य
(तीन)	कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	क्रमशः उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता में
(चार)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के केन्द्रीय उड़नदस्ते के अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
(पांच)	जिले में पदस्थ उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी/जिले का प्रभारी सहायक खनि अधिकारी	जिले के भीतर
(छः)	सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक	उनके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर
(सात)	जॉच चौकियों के प्रभारी	संबंधित जॉच चौकी पर
(आठ)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का कोई अधिकारी	संचालक द्वारा लिखित आदेश में विशेष क्षेत्र हेतु विशेष तौर पर प्राधिकृत किया गया हो

(4) (एक) खनिज परिवहन कर रहे वाहन के वाहन स्वामी या वाहन चालक इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर खनिज अभिवहन पास एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(दो) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक उसके पास उपलब्ध खनिज परिवहन से संबंधित समस्त अभिलेखों तथा दस्तावेजों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा।

4. **शास्ति.–** जब कभी कोई वाहन किन्हीं खनिजों को बिना किसी विधिमान्य अभिवहन पास के परिवहन करता पाया जाता है तो वह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अधीन अपराध माना जायेगा तथा वाहन चालक एवं वाहन स्वामी उक्त अधिनियम एवं नियमों के शास्ति खण्ड के अधीन सजा का भागी होगा।

अध्याय—तीन

जांच चौकी की स्थापना तथा परिवहन किये जा रहे खनिजों के निरीक्षण की व्यवस्था

5. जांच चौकी की स्थापना तथा परिवहन किये जा रहे खनिजों का निरीक्षण.— (1) वैध अभिवहन पास के बिना खनिज तथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन तथा भंडारण रोकने की दृष्टि से परिवहन किये जा रहे खनिजों/अयस्क तथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों की श्रेणी, मात्रा आदि एवं अभिवहन पास की वैधता की जांच हेतु संचालक, राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर जांच चौकी, तौल कांटा के साथ या उसके बिना स्थापित की जा सकेगी।

(2) संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए अनुसार, जांच चौकी पर जांच पंजियॉ एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जायेंगे।

(3) खनिज का परिवहन कर रहे वाहन का वाहन चालक जांच चौकी पर वाहन को रोकेगा तथा उसके पास उपलब्ध समस्त सुसंगत दस्तावेज तथा पेपर को निरीक्षण हेतु रखेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा।

(4) जांच चौकी पर स्थापित तौल कांटे या अधिकृत अन्य तौल कांटे पर अभिवहन पास में दर्ज खनिज की मात्रा की जांच करायेंगे।

(5) पट्टाधारी (लीजधारी) या अनुज्ञप्तिधारी (परमिटधारी) या खनिज परिवहन कर्ता, खनिज परिवहन कर रहे वाहन की विभागीय अथवा निजी तौल कांटे पर तौल कराये जाने पर उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शासकीय तौल कांटे पर तौल हेतु भुगतान की रसीद जारी की जायेगी।

(6) जहां जांच चौकी के नजदीक कोई तौल कांटा स्थापित नहीं है परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा के आंकलन के लिए खनिज को घनमीटर में भार किया जायेगा तथा उसे निर्धारित फॉमूले के अनुसार टन में परिवर्तित कर माप की जायेगी।

(7) जांच चौकी के प्रभारी, अभिवहन पास खनिज की मात्रा एवं श्रेणी आदि की जांच करने के उपरान्त जांच पंजी प्ररूप—3 के अनुरूप इन्द्राज कर अभिवहन पास पर इस बाबत् निम्नानुसार निर्धारित नमूने वाली सील लगायेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे:—

प्ररूप

जांच चौकी का नाम .... जिला ....
जांच का दिनांक .... समय ....
जांच पंजी में की गई प्रविष्टि का स. क्र. ....
पृष्ठ क्र. ....

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

(8) यदि जांच चौकी के प्रभारी या जांच हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि खनिज का इस प्रकार परिवहन, वाहन में उपलब्ध अभिवहन पास में दिये गये विवरण अनुसार नहीं है, या बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन किया जा रहा है या अभिवहन पास में उल्लिखित गंतव्य से अन्यत्र परिवहन किया जा रहा है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के उपरान्त् जो वह आवश्यक समझे, खनिज परिवहन कर रहे वाहन, परिवहन किये जा रहे खनिज, यंत्र, औजार या वस्तुएं जो खनिज के परिवहन के उपयोग में लायी गयी है, को जप्त करेगा। जप्त शुदा खनिज, वाहन, औजार, यंत्र या अन्य वस्तुओं को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान के अनुसार निराकृत किया जायेगा।

अध्याय–चार

खनिजों के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/ क्रशिंग हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना तथा उसका नवीनीकरण

6. **खनिजों के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रसिंग हेतु अनुज्ञापत्र जारी तथा उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन.–** (1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची–1 के खंड (अ) तथा (स) के खनिजों तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के खनिजों का लीज क्षेत्र से बाहर अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग के लिए अस्थायी तौर पर एकत्रिकरण किया जाना हो तो ऐसे अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुज्ञा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्ररूप–7 में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रसिंग हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को इस हेतु निर्धारित (वापसी योग्य नहीं) निर्धारित आगम प्राप्ति लेखा शीर्ष में चालान द्वारा जमाकर चालान की प्रति सहित प्ररूप–4 में किया जाएगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क निम्न विवरण अनुसार जमा किया जावेगा:–

(एक) भण्डारण क्षमता एक समय में 250 टन तक के लिए भण्डारण शुल्क रूपये 20,000/–

(दो) प्रत्येक 100 टन या उसके भाग के लिए अतिरिक्त भण्डारण शुल्क रूपये 2000/–

(4) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:–

(एक) अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण तथा नक्शे की प्रमाणित प्रति सहित, भूमि स्वामी का सहमति पत्र;

(दो) यदि अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन संयंत्र/क्रशर संयंत्र स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होना प्रस्तावित हो, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(तीन) वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 केन्द्रीय अधिनियम 1987 का सं. 14) के अधीन यदि आवश्यक हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(चार) यदि आवेदक पट्टाधारी (लीजधारी) है तो संबंधित जिले के भार साधक खनि अधिकारी से जारी किया गया खनिज राजस्व बकाया न होने का प्रमाण–पत्र;

(पांच) अन्य किसी अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुज्ञा जो भी मागी जाए, भी नियमानुसार प्राप्त कर प्रस्तुत की जावेगी।

7. **भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.–** संबंधित जिले के खनि अधिकारी, आवेदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। आवेदन प्राप्त होने पर उस तारीख तथा समय की प्रविष्टि की जावेगी।

8. भण्डारण अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन का रजिस्टरः— संबंधित जिले के खनि अधिकारी, प्ररूप—5 में एक रजिस्टर संधारित करेगा तथा उसमें आवेदन की आवश्यक प्रविष्टि करेगा एवं रसीद प्ररूप—6 में दी जावेगी।

9. भण्डारण अनुज्ञापत्र या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन का निपटाराः— (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, भण्डारण अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा या नवीनीकरण कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञापत्र प्ररूप—7 में जारी करेगा या अनुज्ञापत्र प्रदान कराने अथवा उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा इंकार किये जाने के कारणों को लेख बद्ध करने तथा इंकार करने के कारणों को आवेदक को लिखित में संचारित किये बिना आवेदित संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इंकार नहीं करेगा,

परन्तु यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ उचित दस्तावेज/शुल्क जमा की रसीदी चालान संलग्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसा आवेदन सीधे निरस्त किया जायेगा इसके लिये आवेदक को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) यदि अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी, भण्डारण आगे जारी रखने का इच्छुक हो, तो वह अनुज्ञप्ति के अवसान होने से 90 दिवस पूर्व प्ररूप—4 में नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार निर्धारित शुल्क तथा नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार समस्त सुसंगत दस्तावेज जो मूल आवेदन के समय प्रस्तुत किया गया था, को प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसे नवीनीकरण हेतु आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर निराकृत नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी, उस हेतु आदेश पारित किये जाने तक अनुज्ञप्ति की कालावधि ऐसी और कालावधि के लिए बढ़ाई गई समझी जावेगी, जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।

10. प्रतिभूति निक्षेप.— कोई आवेदक, अनुज्ञापत्र के निर्वधनों तथा शर्तों का सम्यक् पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में एक बार में 250 टन तक भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु रूपये 50,000/— तथा अधिक भण्डारण मात्रा हेतु रूपये 1,00,000/— की राशि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने की संसूचना की तारीख से सात दिवस के भीतर उसी रीति में जमा करेगा, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है। जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

11. अधिकतम कालावधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान की जा सकेगी या उसका नवीनीकरण किया जा सकेगाः— वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान की जा सकेगी, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. धारक की मृत्यु हो जाने पर प्रदान की गई अनुज्ञापत्र की प्रास्थितिः— जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने पर शूल्क रू. 1.000/— के चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमाकर आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् धारक के वारिसों को हस्तांतरणीय होगी।

13 अनुज्ञापत्र (परमिट) की शर्तेः— इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, किन्हीं अन्य शर्तो के अतिरिक्त, जो उसने विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन् रहते हुए होगी, अर्थात्:—

(एक) अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर), स्वीकृत दिनांक से प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये वार्षिक शुल्क रूपये 10.000/— उसी रीति से जमा करेगा जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप—8 में भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु प्ररुप—9 (क) (1), (2), (3), प्ररूप—9 (ख) (1), (2) या प्ररूप—9 (ग) यथास्थिति, अस्थाई भण्डारण/प्रसंस्करण इकाई में प्राप्त और अन्यत्र भेजे गए खनिज/अयस्क और/या उसके उत्पादों की मात्रा तथा अन्य विशिष्टियां दर्शाते हुए सही एवं विश्वसनीय लेखा रखेगा तथा जांच के लिये मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी, अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल से किसी खनिज/अयस्क या उसके उत्पाद का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन (केरियर) के लिए रायल्टी पेड परिवहन पास प्ररूप—10 में जारी करेगा।

(चार) प्राधिकृत अधिकारी, उस मात्रा के लिए ही रायल्टी पेड अभिवहन पास जारी करेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी, भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल पर अभिलेखों/अभिवहन पास पर उपलब्ध खनिज की मात्रा का सत्यापन करने के पश्चात्, स्थल पर भण्डारित/प्रसंस्करित किया है।

(पांच) अनुज्ञप्तिधारी, अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल पर, उस खनिज के अलावा अन्य खनिज का भण्डारण/प्रसंस्करण नहीं करेगा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी की गई।

(छः) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापत्र में उल्लिखित खनिज की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा भण्डारित नहीं करेगा।

(सात) अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को :—

(क) अस्थायी भण्डारण स्थल जिसमें खनिज प्रसंस्करण इकाई भी सम्मिलित है यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी सुसंगत परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ख) अस्थायी भण्डारण स्थल/प्रसंस्करण स्थल पर रखे हुए खनिज/खनिजों और/उसके उत्पादों के स्टॉक के निरीक्षण, तौल या नापजोख करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेन्ट सभी दस्तावेजों, रजिस्टर्स या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, रजिस्टर या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(घ) किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों के नमूने एकत्र करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापत्र (परमिट) का विवरण अस्थारी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल के प्रमुख स्थल पर प्रदर्शित करेगा।

(नौ) (एक) अस्थायी भण्डारण स्थल को तार फेसिंग या ईंट की दीवार से घेरा जाना होगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी, सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करेगा।

(तीन) कोयले के भण्डारण किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी, भण्डारण प्रसंस्करण स्थल पर अग्नि शमन के लिए आवश्यक उपकरण रखे जायेंगे एवं अन्य संगत व्यवस्था करेगा।

14. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां:– अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, नियम 13 या/और प्ररूप–7 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को शर्त का उल्लंघन दर्शाते हुए किए गए उल्लंघन के लिए क्यों न उसे दंडित किया जाए और/या क्यों न अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए, यह निर्देश देते हुए सूचना देगा कि वह उक्त सूचना की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर उल्लंघन का उपचार करे और यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी कालावधि के भीतर कारण बताने में असफल रहता है और/या उल्लंघन का उपचार नहीं करता है तो प्राधिकृत अधिकारी किसी जांच कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा:–

(एक) अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा,

(दो) अनुज्ञप्ति की फीस के दोगुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगा, और/या

(तीन) सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को समपहृत कर सकेगा,

परन्तु ऐसी कोई भी कार्रवाई, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं की जाएगी।

15. प्रतिषेध:– (1) किसी शासकीय भूमि पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) रिहायशी बस्ती/स्कूल/अस्पताल से 300 मीटर के भीतर अनुमति नहीं दी जावेगी।

(3)राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा नदी तट की सीमा के 100 मीटर के भीतर अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

(4) खनिज भण्डारण हेतु ट्रान्समिशन लाईन के नीचे प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर अनुमति नहीं दी जावेगी।

(5) खनिज कोयले के किसी भी कोयला खदान के लीज क्षेत्र से 25 कि.मी. की सीमा के भीतर भण्डारण हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

16. **अनुज्ञप्ति के खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रास्थितिः–** यदि किसी समय नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य की लिखित में रिपोर्ट, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए, जिनमें अनुज्ञप्ति खो गई थी या नष्ट हो गई थी, सक्षम प्राधिकारी को करेगा तथा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करेगा।

सक्षम प्राधिकारी ऐसी जॉच करने के पश्चात, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा,, बशर्ते कि अनुज्ञप्तिधारी रूपये एक हजार मात्र का भुगतान उसी मद में करें, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।

अध्याय—पांच

विविध

17. छूट— राज्य सरकार, आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति या संवर्ग को खनिजों के वैज्ञानिक जांच तथा अनुसंधान कार्य की दृष्टि से, इन नियमों के प्रावधानों की परिधि से छूट प्रदान कर सकेगी।

18. इन नियमों के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण— (1) राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा सद्भावना से किये गये कार्य या कार्य की योजना पर कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जावेगी।

(2) राज्य शासन के विरूद्ध किसी नुकसान के कारण या संभावित कारणों पर किसी सद्भावना से किये गये या करने की योजना जो इन नियमों या उसके अधीन निर्मित किसी आदेश के पालन में की गई हो, पर कोई वाद अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

19. निरसन तथा व्यावृत्ति : इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से खनिज अभिवहन पास विनियम, 1996 निरसित हो जाएंगे

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया या आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

प्ररूप—1

[नियम 3 (1) देखिए]

खनिज रियायत धारकों के लिए अभिवहन पास

पुस्तक क्र. .... पास क्र. ....

1. खान का नाम .... ज़िला ....

2. खनिज का नाम तथा श्रेणी ....

3. प्रारंभिक अनुज्ञापत्र (रिकोनेसेन्समेंट परमिट) /पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टाधारी का नाम ....

4. प्रेषक का नाम ....

5. प्रेषण तारीख एवं समय (अंकों तथा शब्दों में) ....

6. प्रेषण स्थल ....

   व्हाया* ....

7. खनिज की मात्रा ....(टन/घनमीटर में) (अंको तथा शब्दों में)

8. खनिज का विक्रय मूल्य ....

9. वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम ....

10. वाहन का पंजीयन क्र. ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जॉचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

अभ्युक्तियां :—

1. समस्त प्रविष्टियां किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होनी चाहिए.
2. दूसरी प्रति वाहक/के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए.
3. अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, तारीख, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.
4. वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए.
5. व्हाया*— व्हाया के संबंध में खान से गंतव्य स्थान तक परिवहन मार्ग में आने वाले प्रमुख शहरों का नाम लिखा जावे ।

प्ररूप–2

[नियम 3 (2)(एक) देखिए]

खनिज रियायत धारकों के लिए अभिवहन पास प्राप्त करने का आवेदन पत्र

1. प्रारंभिक अनुज्ञापत्र (रिकोनेसैन्स परमिट)/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा धारक का नाम तथा पता ....
....
2. पट्टा का विवरण : तहसील .... ग्राम ....
खसरा कमांक ....क्षेत्र ....
3. पट्टे की अवधि : .... से .... तक
4. खनिज का नाम, जिसका परिवहन किया जाना है ....
5. खनिज की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है ....(टन/घनमीटर मे)
6. परिवहन का माध्यम ....
7. वह कालावधि जिसमें आवेदक खनिज के परिवहन करने का इच्छुक है ....
रायल्टी रू. .... का भुगतान चालान क्र....................... तारीख ....
द्वारा किया गया.
8. अभिवहन पास पुस्तिका का मूल्य रू. ....का भुगतान चालान क.............. तारीख.............

सहपत्रः सरल क्र. 8 तथा 9 के अनुसार

स्थानः

तारीख

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्ररूप–3

(नियम 5 (सात) देखिए)

खनिज जॉच पंजी

जॉच चौकी का नाम ....

तारीख ....

स. क्र.	क्रेता का नाम	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज अभिवहन पास क्र.	अभिवाहन पास में समय उल्लिखित	वाहन क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप–4

[नियम 6 (1) देखिए]

अस्थायी भण्डारण /बेनीफिकेशन/ प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तथा उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र

तारीख.................................... माह .... वर्ष .... को ....

(स्थान) में प्राप्त किया ....

न्यायालय फीस स्टाम्प यहां चिपकाएं.

प्रति,

कलेक्टर
जिला – ....
छत्तीसगढ़

महोदय,

मैं/हम .... निम्न विवरण अनुसार अस्थायी भण्डारण/ बेनिफिकेशन/प्रसंस्करण/कोल वाशरी/लौह अयस्क/क्रशिंग यूनिट/अन्य क्रशर यूनिट स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने/नवीकरण करने के लिए निवेदन करते है.

1. खनिज का नाम ....

2. मात्रा (एक समय में अधिकतम् भण्डारित की जाने वाली मात्रा) ....

3. अवधि ....

4. स्थान ....

5. नियमों के अधीन देय आवेदन फीस रू. .... की राशि चालान क्र. .... तारीख .... स्थान .... में जमा कर दी गई है.

6. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:–

(एक) आवेदक का नाम एवं पूरा पता ....

(दो) क्या आवेदक व्यक्ति/प्राइवेट कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या एसोसिएशन है (जो लागू न हो उसे काट दें). ....

(तीन) आवेदक की उपजीविका या व्यवसाय की प्रकृति ....

(चार) खनिज राजस्व बकाया नहीं प्रमाण–पत्र ....(प्रति संलग्न).

(पांच) यदि आवेदक, आवेदन–पत्र की तारीख को राज्य में कोई खनिज रियायत/अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है तो उसके लिए शपथ–पत्र प्रस्तुत करें ....

(छः) खनिज/अयस्क या उनके उत्पाद का नाम जिनके लिए आवेदक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता हैं. ....

(सात) उस खनिज रियायत अनुज्ञप्ति के विवरण दर्शाते हुए शपथ–पत्र कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आवेदक के साथ संयुक्त रूप से राज्य में धारित की की जा रही है ....

(आठ) उस भूमि का प्रमाणित नक्शा तथा नवीनतम राजस्व अभिलेख जिस पर आवेदक, खनिज/खनिजों या उसके उत्पादों का भण्डारण करने का इच्छुक है. जहां आवेदक भूमि का स्वामी नही है भू–स्वामी से सतही अधिकार या सहमति सहित शपथ पत्र प्राप्त कर लिया है ....

....

(नौ) कोई अन्य विवरण, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्ररूप—5

[नियम 9 देखिए]

अस्थायी भण्डारण /बेनीफिकेशन/ प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तथा उसके नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन—पत्रों की पंजी

1. अनु क्र. ....
2. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख ....
3. आवेदन प्राप्त करने की तारीख ....
4. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता ....
5. आवेदित खनिज/उत्पादों के नाम ....
6. वह कालावधि जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने/ नवीकरण के लिए आवेदन किया गया. ....
7. आवेदन पत्र फीस रू. .... का भुगतान चालान क्र. .... तारीख .... द्वारा किया गया.
8. आवेदन पत्र का अंतिम निपटारा आदेश क्रमांक एवं तारीख सहित ....
9. अधिकारी के हस्ताक्षर.

प्ररूप—6

[नियम 9 देखिए]

अस्थायी भण्डारण /बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र हेतु अनुज्ञप्ति तथा उसके नवीनीकरण के लिए प्राप्त अभिस्वीकृति

तारीख ....

स. क्र. ....

श्री ....से अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण हेतु निम्नलिखित सहपत्रों के साथ आवेदन—पत्र ....को प्राप्त किया.

सहपत्र :—

प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर कार्यालय की मुद्रा
सहित.

प्ररूप–7

[नियम 6 (1)देखिए]

अस्थायी भण्डारण /बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति

कार्यालय कलेक्टर

जिला .... छत्तीसगढ़

क्र.................................. तारीख ....

श्री .... निवासी ....

को नीचे दर्शाये गये भण्डारण/बेनीफिकेशन स्थल में छत्तीसगढ़ खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) का निवारण नियम, 2008 के अधीन खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है/नवीनीकृत की जाती है ।

1. खनिज (खनिजों)/उत्पादन का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा रही है ....

2. भण्डारण खनिज की अधिकतम मात्रा .... टन (एक समय) ।

3. भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र स्थल की अवस्थिति:

सीमा का विवरण :–
पूर्व ....
पश्चिम...............................
उत्तर.................................
दक्षिण...............................

4. भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि तारीख ....से ....तक .... वर्ष के लिए

5. अनुज्ञप्ति की शर्तें :–

(1) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज के अलावा किसी भी अन्य खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण, स्थल पर नही करेगा;

(2) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज की मात्रा से अधिक का भंडारण/प्रसंस्करण भंडारण स्थल पर नही करेगा, यदि वह अधिक मात्रा में खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण भण्डारण हेतु करना चाहता है तो उसे नियम 7 (3) (दो) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अनुमति प्राप्त करना होगा;

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्ररुप 1 में दिये गये अभिवहन पास की मूल प्रतियां जमा कर रायल्टी पेड परिवहन पास पुस्तिका की कीमत जमा कर प्राप्त करेगा;

(4) अनुज्ञप्तिधारी, वाहन चालक को अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा;

(5) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक अभिवहन पास के सत्यापन (निरीक्षण) हेतु उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा;

(6) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को –

(क) स्टाकयार्ड पर खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ख) भण्डारण स्थल पर रखे हुए खनिज/खनिज और/या उसके उत्पादों के स्टाकयार्ड के सर्वेक्षण, तोलन, माप या नापजोख करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेन्ट सभी दस्तावेजों, पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, पंजी या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(घ) किसी खनिज/ खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करेगा;

(7) अस्थायी भण्डारण स्थल को पक्के, तार फेंसिंग या ईट की दीवार से घेरा जाना होगा ।

(8) अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करेगा;

(9) वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत् अनुमति प्राप्ति उपरांत अनुज्ञाप्तिधारी नियमों का पालन करेगा;

(10) कोयला का भंडारण करने की स्थिति में अनुज्ञाप्तिधारी भंडारण/प्रसंस्करण स्थल पर सभी आवश्यक उपकरण की सुरक्षा तथा सभी आवश्यक व्यवस्था के लिए अग्निशामक यंत्र रखेगा;

(11) शासन द्वारा समय समय पर लगाये गये समस्त कर एवं अधिभार का भुगतान करेगा;।

प्राधिकृत अधिकारी
नाम
पदनाम
कार्यालय की मुद्रा

प्ररूप—8

[नियम 13 (दो) देखिए]

अस्थायी भण्डारण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

(अन्य खनिज हेतु)

परमिट क्र. .... तारीख .... अवधि .... वर्ष, तारीख .... से तारीख .... तक

खनिज का नाम ....

भण्डारण स्थल का नाम एवं पता ....

(मात्रा टन में)

स. क्र.	माह/ वर्ष	ओपनिंग स्टॉक	माह में प्राप्त खनिज की मात्रा				प्राप्त खनिज की कुल मात्रा (3+7)	माह में भण्डारण स्थल से हटाये गये खनिज की मात्रा				क्लोजिंग स्टॉक (8 –12
			जिस खदान धारक (माइन होल्डर) से खनिज प्राप्त हुआ उसका नाम और पता	खनिज अभिवहन पास का क्र. एवं दिनांक	वाहन का प्रकार एवं क्र.	मात्रा		जिस पार्टी को खनिज विक्रय किया गया उसका नाम एवं पता	रायल्टी पेड अभिवहन पास का क. एवं तारीख	वाहन का प्रकार एवं क्र.	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्ररूप – 9 (क) (1)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(कोयले की वाशरी हेतु)

माह एवं वर्ष :...

खनिज का नाम : **कोयला**

वाशरी स्थल का नाम एवं पताः ....

(मात्रा टन में)

कोयला	कच्चा कोयला का प्रारंभिक स्टॉक (मात्रा)	माह में प्राप्त मात्रा	माह में वाश की गई मात्रा	वाश करने के पश्चात् कोयले की मात्रा		प्रारंभिक स्टॉक (मात्रा)	योग मात्रा (6+7)	प्रेषण की मात्रा				अंतिम स्टॉक (मात्रा) (8–11)	रिमार्क यदि कोई हो
				प्रकार	मात्रा			सड़क व्दारा	रेल व्दारा	अन्य	योग (9+10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
आरओएम कोयला				वाश्ड कोयला									
				मिडलिंग									
				रिजेक्ट कोयला									
				बिना वाश किया हुआ आरओएम कोयला (मात्रा)									

प्ररूप – 9 (क) (2)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(उपभोक्तावार कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण का विवरण)

माह एवं वर्ष : ....

खनिज का नाम : **कोयला**

वाशरी का नाम एवं पता :

उपभोक्ता का नाम एवं पता : ....

(मात्रा टन में)

कोयला	आरओएम कोयला की प्रारंभिक स्टॉक (मात्रा)	माह में प्राप्त कोयले की मात्रा एवं श्रेणी		डीओ/ई आक्सन का विवरण कोलियारी के नाम सहित	माह में वाश की गई कोयला का योग	वाश करने के पश्चात् कोयले की मात्रा एवं वाह्य श्रेणी		प्रारंभिक स्टॉक (मात्रा)	कुल मात्रा (8+9)	प्रेषण की मात्रा	अंतिम स्टॉक (मात्रा) (10–11)	रिमार्क
		मात्रा	श्रेणी			श्रेणी	मात्रा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(0)	(10)	(11)	(12)	(13)
आरओएम कोयला						वाश्ड कोयला						
						मिडलिंग						
						रिजेक्ट कोयला						
						बिना वाश किया हुआ आरओएम कोयला (मात्रा)						

प्ररूप – 9 (क) (3)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(रिजेक्ट कोयले का विवरण)

माह एवं वर्ष ....

खनिज का नाम **कोयला**

वाशरी का नाम एवं पता : .... (मात्रा टन में)

स. क्र.	प्रारंभिक स्टॉक	माह में उत्पादन की मात्रा	योग (2+3)	माह में प्रेषित कोयले की मात्रा (पार्टीवार प्रेषण का विवरण संलग्न करें)		अंतिम स्टॉक (4–6)
				पार्टी का नाम	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप–9 (ख) (1)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

(लौह अयस्क की प्राप्ति क्रशिंग एवं प्रेषण का विवरण)

एवं वर्ष : ....

निज का नाम : लौह अयस्क

ार का नाम एवं पता : ....

(मात्रा टन में)

क.	आरओएम लौह अयस्क की साइज/ प्रकार	प्रारंभिक स्टॉक	माह में प्राप्त खनिज की मात्रा	योग (3+4)	क्रश किये जाने के पश्चात लौह अयस्क की वाह्य मात्रा		बिना क्रश किये बचे आरओएम लौह अयस्क (मात्रा)	प्रारंभिक स्टॉक		योग		क्रय किये जाने के पश्चात् लौह अयस्क की प्रेषण मात्रा						अंतिम स्टॉक		रिमार्क
												सड़क द्वारा		रेल व्दारा		योग				
					लम्प साइज	फाइन्स		लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज (14+16)	फाइन्स (15+17)	लम्प साइज (2–18)	फाइन्स (13–19)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

प्ररूप–9 (ख) (2)

[नियम 13 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

(उपभोक्तावार लौह अयस्क की प्राप्ति क्रशिंग एवं प्रेषण का विवरण)

माह एवं वर्ष : ....

खनिज का नाम : **लौह अयस्क**

क्रशर का नाम, एवं पता : ....

उपभोक्ता का नाम एवं पता : ....(मात्रा टन में)

स. क्र.	आरओएम लौह अयस्क की आकार/ प्रकार	प्रारंभिक स्टॉक	माह में प्राप्त मात्रा एवं श्रेणी		डीओ/ आर आर का विवरण	क्रश किये जाने के पश्चात् लौह अयस्क की वाह्य मात्रा		बिना क्रश किये बचे आरओएम लौह अयस्क (मात्रा)	प्रारंभिक स्टॉक		योग (मात्रा)		क्रय किये जाने के पश्चात् लौह अयस्क की प्रेषण मात्रा		अंतिम स्टॉक		रिमार्क
			मात्रा	श्रेणी		लम्प साइज	फाइन्स		लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज (8+11)	फाइन्स (9+12)	लम्प साइज	फाइन्स	लम्प साइज (14–16)	फाइन्स (15–17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.																	
2.																	
3.																	

प्ररूप–9 (ग)

[नियम 14 (दो) देखिए]

प्रसंस्करण इकाई स्थल/क्रशर स्थल पर रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

(अन्य खनिज का विवरण)

अनुमति कमांक .... तारीख .... अवधि .... वर्ष तारीख .... से तारीख .... तक

खनिज का नाम ....

प्रसंस्करण स्थल/क्रशर स्थल का नाम एवं पता ....

(मात्रा टन में

क्र.	वर्ष/ माह	ओपनिंग स्टॉक	माह में प्राप्त खनिज				प्राप्त खनिज की कुल मात्रा(3+7)	माह में परिष्करण/ क्रशिंग पश्चात् प्राप्त खनिज की कुल मात्रा	माह में प्रसंकरीत संयंत्र से हटाये गये ख़निज की मात्रा				क्लोजिंग स्टॉक (8–13)	रिमार्क
			जिस पटटेदार से खनिज प्राप्त हुआ उसका नाम/ एवं पता	अभिवहन पास का क्र. एवं तारीख	वाहन का क्र. एवं प्रकार	मात्रा			जिस पार्टी को खनिज विक्रय किया गया उसका नाम एवं पता	रायल्टी पेड अभिवहन पास का क्र. एवं तारीख	वाहन का क्र. एवं प्रकार	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप—10

[नियम 13 (तीन) देखिए]

रायल्टी पेड अभिवहन पास

पुस्तक क्र. .... पास क्र. ....

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता ....

   ....

2. अनुज्ञप्ति की विशिष्टियॉ ....

   ....

3. खनिज (खनिजों)/उत्पादकों का नाम ....

4. भेजने वाले का नाम ....

5. भण्डारण स्थल से प्रेषण की तारीख तथा समय

   (अनुज्ञप्ति में उल्लिखित अनुसार) (अंकों तथा शब्दो में)..

   ....

6. प्रेषण का गंतव्य स्थान ....

7. गंतव्य स्थल पहुंचने के पूर्व आने वाले मुख्य शहरों का नाम (1) ....(2) ....(3)..............

8. खनिज की मात्रा ....(टन/घनमीटर में) (अंको तथा शब्दों में)

9. खनिज का विक्रय मूल्य ....

10. वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम ....

    वाहन (केरियर) कमांक ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	जॉचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित

अभ्युक्तियां –

1. समस्त प्रविष्टियां किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होनी चाहिए.
2. दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए.
3. अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.
4. गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक हैं. निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा
5. वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12 दिनांक 27 जुलाई, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th July 2009

No. F 7-9/2003/12.— :: In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This may be called the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009;

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh;

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette"

2. **Definition.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957);

(b) "Authorized Officers" means officer to whom State Government has empowered under these rules to act upon;

(c) "Check Post" means a check post established on the road by Mineral Resources Department for the verification of the quantity of minerals being transported and the transit documents in any vehicle;

(d) "Collector" and "Additional Collector" of senior Indian Administrative Services scale have the same meaning respectively assigned to them in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(e) "Director" means Director of Geology and Mining, Chhattisgarh appointed by the State Government;

(f) "Government" means the Mineral Resources Department of State Government of Chhattisgarh;

(g) "Form" means the form appended to these Rule;

(h) "In-charge of Check Post" means the officer in-charge of any check post appointed by the Collector of the concerned district;

(i) " Lease" means mining lease and quarry lease granted for the purpose of exploitation of minerals;

(j) "Mineral" shall have the same meaning, as assigned in the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957;

(k) "Mineral Concession" means Reconnaissance Permit, Prospecting Licence and Mining Lease under the Act and Rules;

(l) "Mining Officer" means Deputy Director (Mineral Administration)/ Mining Officer/ Assistant Mining Officer posted in the district as Officer In-charge of mining section;

(m) "Owner of Mines" covers Lessee or any manager or any person authorised by the Lessee in writing to work on his behalf;

(n) "Rules" means rules framed under section 23(C) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act No.67 of 1957);

(o) "Scientific Test" means any chemical analysis of minerals conducted in the laboratory of Directorate of Geology and Mining or any other laboratories of Government of India;

(p) "Section" means a section of the Act;

(q) "State" means the State of Chhattisgarh;

(r) "Storage" means Temporary Storage of mineral at any place during transportation to the final destination after removing it from the mining lease area (lease area);

(s) "Storage Permit" means the permit issued under these rules by the Collector to any person/ company for the temporary storage/beneficiation/crushing of any mineral in the territorial Jurisdiction of the concerned district;

(t) "Transit Pass" means a pass issued by the authorized officers of Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh for lawful transportation of minerals;

(u) "Vehicle" means any mode by which mineral/minerals or its products are transported from the place of raising or from one place to another, excluding railway wagons, aerial ropeway, conveyor belt;

(v) "Weigh Bridge" means weighment machine established to measure the quantity of the minerals being transported;

(w) All other words and expressions used herein but not defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

2. Prohibition.- (1) No person shall transport carry or cause to be transported any mineral/ore or/and its beneficiated products by any vehicle or otherwise from the place of raising/storage/ beneficiation or from one place to another place without having a valid Transit Pass issued under these rules;

Provided that no such Transit Pass shall be required in case of any mineral/minerals or its beneficiated products being transported directly from the lease area by means of rail or aerial ropeway or conveyor belt which is accompanied by an bill, invoice issued by the lessee mentioning the date and time, quantity of mineral, destination and name of the party to whom it is being supplied/ dispatched or any other lawful documents, which prove the legality of the mineral transported;

(2) No person shall transport any mineral/(s) outside the lease area or process any mineral/(s) other than final destination or storage for any other purposes

beneficiate/ establish a crushing plant without holding a valid "storage permit" granted under these rules.

CHAPTER- II

ARRANGEMENT OF TRANSIT PASS FOR THE TRANSPORTATION OF MINERALS

3. **Transportation of Minerals and it's beneficiated Products.** - (1) All the minerals or it's ore excavated in any lease area sanctioned under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and rules framed under shall only be transported (except transported directly by rail, ropeway or by conveyor belt) along with the valid transit passes issued under these rules in **Form -1.** The minerals or its ore shall also be transported to the railway siding or beneficiation plant installed or established out side the mining lease area with the valid transit pass, but the as special case Director, after distinguished reasons may exemption the restriction, so imposed.

The mineral transported directly by rail, rope way or conveyor belt should accompanied by a bill, invoice issued by the lessee mentioning the date and time, quantity and grade of mineral, destination, name of party to whom it is being supplied, dispatch, or any other lawful documents which prove the legality of mineral so transported.

(2) (i) For transportation of any mineral or it's beneficiated products from the lease area, the holder of mining lease shall make an application in **Form-2** to the District Collector, along with the original treasury challan of the cost of the Transit Pass Book and the royalty due of the mineral to be transported as per the maximum requirement for the next three months, the transit passes will be obtained.

(ii) The cost of transit pass book and the royalty due of the mineral transported shall be deposited in the same manner, as prescribed in rule;

(iii) Every lease holder or permit holder shall issue duplicate copy of the Transit Pass generated by using carbon copy to the driver of the vehicle carrying mineral from lease site/ temporary storage site and keep original copy in transit book safely;

(iv) The Transit Passes for mineral concession shall be printed and issued as per the procedure decided by the Director Geology and Mining time to time.

(3) The following officers are authorised to check and inspect and to take action under the Act and rules of the vehicle carrying the mineral and its beneficiated products:-

SCHEDULE

S.No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
(i)	Director, Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(ii)	Additional Director/ Joint Director (Mineral Administration), Directorate of Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(iii)	Collector/Additional Collector/ Sub Divisional Officer (Revenue).	Within their respective/ jurisdiction.
(iv)	Flying Squad of Directorate of Geology and Mining.	Whole State of Chhattisgarh
(v)	Deputy Director (Mineral Administration)/ Mining Officer/ In-charge Assistant Mining Officer	Within the district.

(vi)	Assistant Mining Officer/ Mining Inspector.	Within their jurisdiction of work.
(vii)	In-charge of Check Post.	On the concerned check post.
(viii)	Any officer of the Directorate of Geology and Mining.	Authorised by the Director in writing specially for a particular area.

(4) (i) The owner or the Driver of the vehicle carrying the mineral is responsible for the strict compliance of these instructions and present the mineral transit pass and other relevant document to the authorised officer on demand for inspection and co-operate him in inspection.

(ii) The driver of the vehicle carrying the mineral shall present the relevant documents related to mineral transportation to the authorised officer on demand during the transportation and co-operate him in inspection.

(4) Penalties:- Whenever any vehicle transporting the mineral without the lawful transit pass it is treated as an offence under section 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the driver of the vehicle and the owner of the vehicle as well, will be liable for punishment under the penalty clauses of the said Act and rules.

CHAPTER - III

ESTABLISHMENT OF CHECK POSTS AND ARRANGEMENTS FOR THE INSPECTION OF MINERAL IN TRANSIT.

5. Establishment of check posts and inspection of minerals in transit. - (1). The Director may setup check post(s) with or without weighbridge at any place within the State to check the validity of transit passes and the legality of the grade, quantity of minerals and its beneficiated products to prevent transportation and storage of mineral/ ores and its beneficiated products without lawful permit.

(2) As per the instruction issued by Director time to time the inspections register and other document, kept and maintain at check the posts.

(3) The driver of the vehicle carrying the mineral shall stop the vehicle at check post and show all-relevant document and paper available with him for inspection and co-operate in inspection.

(4) The quantity of minerals mentioned in transit pass shall be checked at the weighbridge established at check post or any other authorized weighbridge.

(5) The lease holder or permit holder or mineral transporter shall pay the amount so fixed for the weighment at the departmental or the private weighbridge. The payment receipt will be issued for the weighment at the government weighbridge.

(6) At the check post where these is no weighbridge near by, the quantity of mineral being transported shall be measured in cubic meter & then converted in to tonnes according to the prescribe formula.

(7) The in-charge of check post, after checking the transit passes quantity and grade of mineral, shall enter the details in the register according the **Form-3** and put the prescribed seal as shown below and sign the transit pass.

FORM

Name of check post .... District ....
Date of checking .... Time ....
Sr.No. of the entry in inspection register ....
Page No. ....

Signature of inspecting person

(8) If the in-charge of check post or any other authorised officer has reasons to believe that the mineral so transported, is not covered by the transit pass available with the vehicle or the mineral is transported without a valid transit pass, or the mineral is being transported other than the destination mentioned in transit pass, the authorised officer after such verification as he/she feels necessary shall seize the vehicle caring the mineral, tools, equipment or any other things used in transportation of mineral and also the mineral so transported. The seized mineral, vehicle, tools, equipment or other things shall be disposed off as per the provisions of Act and Rules.

CHAPTER - IV

ISSUE OF PERMIT AND ITS RENEWAL FOR THE TEMPORARY STORAGE/BENEFICIATION/CRUSHING OF MINERAL

6. **Application permit and its renewal for temporary storage/ beneficiation/ crushing of mineral.-** (1) If any mineral mentioned in part A and part C of first schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No.67 of 1957) or schedule-I & schedule-II of Chhattisgarh Minor Mineral Rule 1996 be temporally stored, beneficiated, crushed out side the lease area, the permission for such storage/ beneficiation plant/ crushing plant be specified in Form-7 by the concern of the District Collector.

(2) The application permit and its renewal for temporary storage/ beneficiation/ crushing shall be made to the Collector of the concern district in **Form-4** with the copy of duly paid challan of required fees (non refundable) in the prescribed Account head.

(3) The application fees along with the application form shall be submitted as per detail below:

(i) For storage capacity up to 250 tonne at a time the storage fee Rs. 20,000/-;

(ii) In additional to above for each 100 tonne or its part Rs. 2,000/-.

(4) Following documents shall be accompanied with the application:-

(i) Certified copy of the details and the map of the area proposed to be used as temporary storage/ beneficiation plant/ crushing plant along with the consent letter of the owner of the land;

(ii) No objection certificate from the National Highway Authority, if the proposed/ temporary storage/ beneficiation plant/ crushing plant is near by the National Highway;

(iii) No objection certificate under (The Air of Pollution) (Prevention and Control) Act, 1981 (Central Act No. 14 of 1987), if necessary;

(iv) If the applicant is a lease holder mining dues clearance certificate from the in-charge mining officer of the district concern;

(v) The permission needed under any other Acts, shall be acquired as per the rules and accordingly presented.

7. Authority competent to receive the application for storage permit,- Mining Officer of the concerned district shall be the competent authority to receive the application. The receiving date and time shall be marked on the application.

8. Register of application for storage permit. - Mining officer of the district concern shall maintain a register in **Form-5** and make necessary entries therein, and receipt of the application shall be given in **Form-6.**

9. Disposal of application for storage permit or its renewal.- (1) The competent authority after making such inquires as he/ she may deem fit, grant or renewable the storage permit and shall issue such permit in **Form-7** or refuse to grant or renewable the permit.

Provided that the competent authority shall not refuse to grant or renew the permit for the whole or part of the area applied without giving an opportunity of

hearing to the applicant and without recording the reason for refusal in writing and communicating the reasons for refusal to the applicant:

Provided that if the application submitted by the applicant is without accompanying proper document, receipt challan of the fee, shall be rejected directly and it does not require inform the applicant.

(2) If a temporary permit holder wishes to continue the storage for further, period, he shall submit an application 90 days prior to before the expiry along with the fee deposited in such a manner as shown in sub-rule (3) of rule 6 of these rule in **Form-4** and submit all the relevant document which were submitted at the time of original application as per sub-rule (4) of rule 6 of these rule. If the application for such renewal is not disposed off within the prescribed time period, the period of such permit shall be deemed to have been extended by a further period for which the permit was originally granted till the competent authority passes an order thereon.

(3) The competent authority may at his/ her own discretion may refuse to grant or renew the permit to such person who is convicted of any offence under the Act or Rules made there under.

10. Security deposit. - Due observance of the terms and conditions of the permit the applicant shall deposit Rs. 50,000/- for storage permit up to 250 tons at a time and for extra storage Rs. 1,00,000/- as security deposit within 7 (seven) days from the date of intimation of grant or renewal of permit by the competent authority in the same manner as prescribed in sub-rule (2) of rule 7. No interest shall be liable for security deposit.

11. Period for which permit shall be granted or renewed. - The maximum period for grant of a permit shall not exceed three years.

12. Status of the sanctioned permit in case of death of the holder. - Where the permit dies, the permit holder shall be transferred to the equal heir/(s) of the holder after the submission of the application along with a fee of Rs. 1,000/- deposited by challan in prescribed Account head.

13. Conditions of the permit. - Every permit granted under these rules shall, in addition to any other conditions that may be specified therein be subjected to the following conditions, namely : -

(i) The permit holder, from the date of sanction, for every calendar year shall deposit the annual fee of Rs. 10,000/- in the same manner as prescribed in sub-rule(2) of Rule 7.

(ii) The permit holder shall keep accurate and faithful accounts of storage in **Form-8** and at processing unit in **Form-9 (a) (1), (2), (3), Form-9 (b) (1), (2)** or **Form-9 (c)** as the case may be showing the details of quantity and other particulars of the mineral/ ore and/ or its products received and dispatch from the temporary storage/ processing unit and the same shall be present to the competent officer on demand during inspection.

(iii) The permit holder shall issue royalty paid transit pass in **Form-10** for every vehicle (carrier) transporting any mineral/ ore or its products from the temporary storage / processing site.

(iv) Authorized officer shall issue Royalty Paid transit pass only for that quantity which the permit holder has stored/ processed at the site after the verification of the quantity of mineral record/ transit passes available at storage/ processing site.

(v) The permit holder shall not store/process any mineral other than the mineral for which permit has been issued, at the temporary storage/ processing site.

(vi) Permit holder shall not store more than the permissible quantity mentioned in the permit.

(vii) The permit holder shall allow any authorised officer to: -

(a) enter and inspect the temporary storage site including mineral processing unit, if any, its building, office or any relevant premises;

(b) allow for stock inspection, weighing or measurement of the stocks of mineral/ minerals and/ or its products lying at the temporary storage site;

(c) allow to examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the permit holder or his agent and to take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;

(d) allow to collect samples of any mineral ore and/ or its products.

(viii) The permit holder shall display the description of the permit so granted at the main place of temporary storage/ process site.

(ix) (a) the fencing of temporary storage site shall be done either through wire or brick wall.

(b) permit holder shall make necessary arrangement for first aid and safety according to the rule.

(c) In the case of storage of coal, permit holder shall keep necessary equipment at the storage/ processing site for protection and make necessary arrangement for prevention of fire.

14. Power of the authorised officer.- In case of breach of any conditions specified in Rule (13) or / and **Form - 7** by the permit holder, the authorised officer shall issue a notice in writing to the permit holder specifying the breach of condition and asking him/ her to show cause why he/ she should not be penalized and/ or why the permit shall not be cancelled for the breach committed, directing him/ her to remedy the breach within fifteen days from the date of issue of said notice and if the permit holder fails to submit proper

cause and/ or if the breach is not remedied within such period, the authorised officer, without prejudice to any other action may take following action :-

(i) cancel the permit,

(ii) impose fine up to two times of the fees of the permit and/ or;

(iii) forfeit the whole or part of the security deposit.

Provided that no such action shall be taken without giving an opportunity of being heard to the permit holder.

15. Prohibition. -(1) Permit shall not be issued on any government land.

(2) Permit shall not be issued within the limit of 300 meters from habitate area/ school/ hospital.

(3) Permit shall not be issued within the 100 meters limit of the National, State Highway and the river banks.

(4) Permit shall not be issued for mineral storage within the restricted area of the transmission line.

(5) Permit shall not be issued for the coal storage within the limit of 25 km of the lease of the coal mines.

16. Status of Permit in case of lost/ destroy. - If any time the permit granted under these rules is last or destroyed, the permit holder shall forthwith report the fact in writing to the competent authority narrating the circumstances in which the permit was lost or destroyed and shall request in writing for a duplicate copy of the permit.

The competent authority after making such inquiries, as he/ she may deem fit, issue a duplicate permit provided the permit holder pay a sum of Rupees One thousand only in the same manner, as prescribe in sub rule (2) of rule 7.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

17. Exempiton. - The State Government may by an order, exempt any person or class of persons from the purview of any of the provision(s) of these rules for the purpose of scientific test and research work.

18. Protection of Action Taken Under these rules.- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of the government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of these rules.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance or these rules or any order made there under.

19. Repeal Savings. - The Mineral Transit Pass Regulation, 1966 shall stand repealed on coming in to force of these rules.

Provided that any order made or action taken under these Regulations so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

FORM - 1
[See Rule 3 (1)]

TRANSIT PASS FOR MINERAL CONCESSION HOLDERS

Book No. .... Pass No. ....

1. Name of the mine.................................District..
2. Name of the Mineral and its grade ....
3. Name of the Reconnaissance Permit/ Prospecting Licence/ Mining Lease holder ....
4. Name of the consignor ....
5. Date and time of dispatch .... (in figures and words)
6. Destination of dispatch ....
   via* ....
7. Quantity of Mineral ....(in tonne/in cubic meter). (in figures and words)
8. Sale value of the Mineral ....
9. Name of owner of the carrier ....
10. Registration No. of Carrier ....

Name and Signature of the Person issuing the transit pass with date	Name and Signature of the carrier driver with date	Name and Signature of the checking Staff with date

Remarks:

1. All entries should be without any overwriting and should be clearly readable.
2. Duplicate copy should be handed over to the Driver of the Carrier and Original copy be retained in the transit passbook.
3. Omission to record date, time and quantity or any overwriting in the transit passbook shall be punishable.
4. Fresh transit pass should be issued to the Carrier for each trip.
5. Via* - Name the major cities via mineral is being transported from mine to final destination.

FORM - 2

[See Rule 3(2) (i)]

APPLICATION FOR ISSUE OF TRANSIT PASS FOR THE MINERAL CONCESSION HOLDERS

1. Name and Address of Reconnaissance Permit/ Prospecting Licence/ Mining Lease holder ....
2. Particulars of Lease : Tahsil .... Village .... Khasra number .... area ....
3. Period of Lease from .... to ....
4. Name of mineral to be transported ....
5. Quantity of mineral to be transported ....(in tonne/in cubic meter)
6. Mode of transport ....
7. Period within which the applicant desires to transport the mineral ....
8. Royalty of Rs. .... paid vide challan no. ....date ....
9. Cost of Transit Pass Book Rs. .... paid vide challan no. ....date ....

Enclosure: As per serial no 8 and 9.

Place:

Date:

Signature

Name of the Applicant

FORM - 3

[See Rule 5 (vii)]

CHECK POST REGISTER

Name of the Check post ....

Date ....

S.No.	Name of Purchaser	Name of Mineral	Quantity of Mineral	Pit pass No.	Time mentioned in Pit pass	Vehicle No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM - 4

[See Rule 6 (1)]

APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF PERMIT FOR TEMPORARY STORAGE/ BENEFICIATION/ PROCESSING / CRUSHING PLANT

Received at .... (place) on the .... day of .... month .... year.................

Affix court fee stamp here.

To,

The Collector
District - ....
Chhattisgarh

Sir,

I/We .... request for the grant/renewal of temporary storage permit/beneficiation/processing/coal washery/ iron ore crushing unit/ other crushing unit.

1. Name of Minerals ....

2. Quantity (Maximum capacity to store at a time) ....

3. Period ....

4. Place ....

5. A sum of Rs. .... as application fee payable under these rules has been deposited vide challan No. .... dated .... at place ....

6. The required particulars are given below:-

   (i) Name of the applicant with complete address...

   (ii) Is the applicant is an Individual/ Private Company/ Public Company/ Firm or Association (strike off whichever is not applicable)........................

   (iii) Profession or nature of business of applicant ....

   (iv) No Mining Dues Certificate (copy attached) ....

(v) If on the date of application, the applicant does not hold any mineral concession/ licence in the state furnish an affidavit for the same...

(vi) Mineral/Ore or its products, for which the applicant intend to, hold a permit...

(vii) An affidavit showing details of mineral concession licence held or being held in the State by any other person/ persons jointly with the applicant.......
....

(viii) Enclose the certified copy of the map and latest revenue record of the land intended to be used for storing mineral/ minerals or its products. Where the applicant has not owned the land, an affidavit to the effect that he/she has obtained the surface right or the consent of the owner ....
....
....

(ix) Any other details that applicant desires to submit...

Signature of the Applicant

Name:

Address:

FORM - 5

[See Rule 9]

REGISTER OF APPLICATION AND RENEWAL FOR TEMPORARY STORAGE/ BENEFICIATION/ PROCESSING/ CRUSHING PERMIT

1 Serial No. ....

2. Date of application of permit ....

3. Date of receipt of application ....

4. Name of the applicant with full address ....

5. Name of the mineral/product applied for. ....

6. Period for which grant/renewal of permit is applied ....

7. Application fee of Rs. .... paid vide challan No. ....
date ....

8. Final disposal of the application with number and date of the order. ....

9. Signature of the Officer.

FORM - 6

[See Rule 9]

ACKNOWLEDGEMENT FOR GRANT OR RENEWAL OF TEMPORARY STORAGE/ BENEFICIATION / PROCESSING/ CRUSHING PLANT PERMIT

S.No. .... Date ....

Received the application for the grant/renewal of temporary storage/ processing site permit with following enclosures from Shri .... on ....
....

Enclosures :

Signature of receiving
Officer with seal of office

FORM - 7

[See Rule 6(1)]

GRANT OF PERMIT FOR TEMPORARY STORAGE/ BENEFICIATION/ PROCESSING/ CRUSHING

OFFICE OF THE COLLECTOR

DISRTRICT - ...., CHHATTISGARH

No. .... Date ....

Mineral permit is hereby granted/ renewed as per the condition given below under the Chhattisgarh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2008 in favour of Shri .... resident of .... for storage/beneficiation place indicated below,

1. Mineral (s)/ Products name for which permit is being given ....
2. Maximum quantity of stored mineral .... tones (at a time).
3. Location of storage/beneficiation/processing/crushing plant: ....

   Description of the boundary: -

   East ....

   West ....

   North........................

   South........................
4. Period of the storage permit, from date .... to......................... for .... years.
5. Condition of the permit: -

   (1) The permit holder shall not store/ process any mineral other than the mineral for which permit has been issued at the site.

   (2) The permit holder shall not store/ process higher quantity for which permit is being given, if he wishes to store/ process higher quantity , he has to pay the required fees mentioned in rule 7(3)(Two) and take permission for storage.

(3) The permit holder shall deposit the original copy of Pit pass mentioned in Form-1 and issue the Royalty paid pit pass by submitting the price of the book.

(4) The permit holder shall issue the carbon copy of the pit pass to the driver of the vehicle and keep original copy for record.

(5) During the transportation of the mineral, driver of the vehicle shall store the vehicle and co-operate with Authorised officer for verification of transit.

(6) The permit holder shall allow any authorised officer to: -

(a) enter and inspect the stockyard including mineral processing unit, if any, building, office or any relevant premises;

(b) survey, weigh, measure or take measurements of the stocks of mineral/ minerals and/ or its products lying at the stockyard;

(c) examine any documents, books, registers or relevant record in the possession of the permit holder or any other person having the control thereof or connected therewith and take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;

(d) collect samples of any mineral/ minerals and/ or its products.

(7) the fencing of temporary storage site shall be done either through wire or brick wall.

(8) permit holder shall make necessary arrangement for first aid and safety according to the rule.

(9) after the permission of the Air pollution Act, 1981, permit holder shall follow the rule.

(10) for storage of coal, permit holder shall keep necessary equipment in the storage/ processing site for protection and make necessary arrangement for prevention of fire.

(11) shall pay all the taxes and extra charges being imposed by the government time to time.

Authority Officer
Name
Designation
Seal of Office

FORM - 8

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT TEMPORARY STORAGE SITE

(For other minerals)

Permit No. .... date .... period ....year, from date .... to date ....

Name of Minerals ....

Name & Address of Storage place ....

(Quantity in tonnes)

Sr. No	Year/ month	Opening stock	Mineral received during the month				Total Qty of minerals received (3+7)
			Name and address of the mine holder from whom the mineral received	No. and date of transit pass	No. and type of vehicle	Quantity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Quantity of mineral removed from the place of storage during the month				Closing balance (8-12)
Name and address of the party to whom the mineral is sold	No. and date of royalty paid transit pass	No. and type of vehicle	Quantity	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

FORM - 9 (a) (1)

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(For coal washry)

Month & Year: ....

Name of Mineral: **Coal**

Name of Washry and Address: ....

(Quantity in Tonne)

Coal	Opening Balance of Raw coal (Qty)	Received Qty during month	Washed Quantity during month	Output quantity of coal after washing		Opening Balance (Qty)	Total Qty (6+7)	Dispatched Quantity				Closing balance (Qty) (8-11)	Remark if any
				Category	Qty			By Road	By Rail	Other	Total (9+10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ROM coal				Washed coal									
				Middling									
				Reject coal									
				Unwashed ROM coal (Qty)									

FORM - 9(a)(2)

[See Rule 13(ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Consumer wise Coal Received and Dispatched Details)

Month and Year :

Name of Mineral : **Coal**

Name of Washry and Address:

Name of Consumer and Address:

(Quantity in Tonne)

Coal	Opening Balance of ROM coal (Qty)	Quantity & Grade of Coal Received in the month		Details of DO/ E-auction with Colliery Name	Total coal washed during month	Output category and quantity of coal after washing		Opening Balance (Qty)	Total Qty (8+9)	Dispat-ched Quantity	Closing balance (Qty) (10-11)	Remarks
		Qty	Grade			Category	Qty					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ROM coal						Washed coal						
						Middling						
						Reject coal						
						Unwashed ROM coal (Qty)						

FORM - 9(a)(3)

[See Rule 13(ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Details of Reject Coal)

Month and Year : ....

Name of Mineral: **Coal**

Name of Washry and Address: ....

(Quantity in Tonne)

Sr. No.	Opening Balance	Produced Quantity in the month	Total (2+3)	Dispatch during month (party wise details of dispatch be enclosed)		Closing balance (4-6)
				Name of Party	Qty	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM - 9 (b) (1)

[See Rule 13(ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Details of Iron Ore Received, Crushed & Dispatched)

Month and Year: ....

Name of Mineral: **Iron Ore**

Name of Crusher and Address: ....

(Quantity in Tonne)

S. No.	ROM Iron Ore Size / Type	Opening Balance	Received Qty during month	Total (3+4)	Output quantity of Iron Ore after Crushing		Uncrushed ROM Iron Ore (Qty)	Opening Balance		Total	
					Lump. Size	Fines		Lump. Size	Fines	Lump. Size	Fines
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1-											
2-											
3-											

Dispatched quantity of Iron Ore after Crushing						Closing Balance		Remarks
By Road		By Rail		Total				
Lump. Size	Fines	Lump. Size	Fines	Lump. Size (14+16)	Fines (15+17)	Lump. Size (12-18)	Fines (13-19)	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

FORM - 9 (b) (2)

[See Rule 13 (ii)]

PROFORMA OF THE REGISTER AT PROCESSING UNIT

(Consumer wise Details of Iron Ore Received, Crushed & Dispatched)

Month and Year: ....

Name of Mineral: **Iron Ore**

Name of Crusher and Address: ....

Name of the Consumer and Address ....

(Quantity in Tonne)

S. No	ROM Iron Ore Size / Type	Opening Balance	Received Qty and grade during month		Details of DO/RR	Output quantity of Iron Ore after Crushing		Uncrushed ROM Iron Ore (Qty)	Opening Balance	
			Qty	Grade		Lump. Size	Fines		Lump. Size	Fines
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1-										
2-										
3-										

Total (Qty)		Dispatched quantity of Iron ore after crushing from the crusher		Closing Balance (Qty)		Remarks
Lump. Size (8+11)	Fines (9+12)	Lump. Size	Fines	Lump. Size (14-16)	Fines (15-17)	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

FORM - 9 (c)

[See Rule 14 (ii)]

REGISTER TO BE MAINTAINED AT THE CRUSHING/ PROCESSING UNIT SITE

(For Other Minerals)

Permit No. .... date .... period .... year from date .... to date ....

Name of Minerals ....

Name and Address of Processing unit ....

(Quantity in tonnes)

Sr. No.	Year/ month	Opening stock	Mineral received during month				Total Qty of minerals received (3+7)	Total Qty of mineral available after beneficiation/ crushing during the month
			Name and address of the mine holder from whom the mineral received	No. and date of transit pass	No. and type of vehicle	Qty		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Quantity of mineral removed from the beneficiation plant during the month				Closing balance (8-13)	Remarks
Name and address of the party to whom the mineral is sold	No. and date of royalty paid transit pass	No. and type of vehicle	Quantity		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM - 10

[See Rule 13 (iii)]

ROYALTY PAID TRANSIT PASS

Book No. .... Pass No. ....

1. Name of the Address of permit holder ....

2. Particulars of the permit ....

3. Name of Mineral(s)/ Products ....

4. Name of consignor ....

5. Date and time of dispatch from place of storage (as mentioned in permit) .... (in figures and word).

6. Destination of dispatch ....

7. Name of main cities found in rule of destination (1) .... (2) .... (3)..................... (4).....................

8. Quantity of mineral .... (in tonne/ cubic meter). (in figures and words)

9. Sale value of Mineral ....

10. Name of the carrier owner ....

Carrier No. ....

Name and Signature of the Person issuing the transit pass with date	Name and Signature of the the carrier driver with date	Name and Signature of the checking Staff with date

Remarks:

1. All entries should be without any overwriting and should be clearly readable.
2. Duplicate copy should be handed over to the Driver of the Carrier and Original copy be retained in the transit passbook.
3. Omission to record date, time and quantity or any overwriting in the transit passbook shall be punishable.
4. If number of rute is more than one to reach to the final destination during transportation of mineral, permit holder has to write name of the major cities which found at the rute of their destination. Transportation of mineral by other rute as mentioned in pass shall come under the category of illegal transportation
5. Fresh transit pass should be issued to the Carrier for each trip.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5826/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आसरा प. ह. नं. 12	0.68	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	आसरा आड़ाम मार्ग पर झूरा नदी में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोलगा	5.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कोलगा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदी	102.670	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.), सुधार क्रमांक-1, छ.ग.रा.वि.मं., कोरबा पूर्व.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युतगृह एवं राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदा	10.907	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.), सुधार क्रमांक-1, छ.ग.रा.वि.मं., कोरबा पूर्व.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युतगृह एवं राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	शिवनगर	54.54	प्रबंध संचालक, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, शाखा-अंबिकापुर.	तारा कोल परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजगंज	कालिकापुर	0.11	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ. ग.)	चिनिया-रामचन्द्रपुर मार्ग पर कुरसा नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्र./क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./23/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153/3	0.340
योग	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पार्क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्र. क्र. 03/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.594 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
381	0.170
400	0.024
407	0.036
456	0.008
402	0.016
403	0.004
406	0.024
414	0.012
391/2	0.219
404	0.081
योग 10	0.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है-मालेघोरी माइनर के लिये भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-कालिकापुर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	668	0.11
योग	1	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिनिया-रामचन्द्रपुर मार्ग पर कुरसा नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5827/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-आयबांधा, प. ह. नं. 70
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	240	0.84
	241	0.14
	242	0.77
योग	3	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दाउटोला आयबांधा मार्ग पर डालेकसा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5828/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जोशीलमती, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/8	0.323

	(1)	(2)
	34/40	0.182
	34/43	0.162
	34/44	0.170
	31/2, 32/2	0.323
	34/4-5	0.117
	35/1	0.100
	51/2	0.080
योग	8	1.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरियानाला बैराज बांध डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009.

क्रमांक/5829/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गहिराभेड़ी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
474	0.25
472	0.25
473/1	0.34
473/2	0.32
483/2	0.05
483/3	0.55
493/2	0.28
510	0.25
509/1	0.12
509/2	0.14
509/3	0.02
506/2	0.03
508/3	0.17
508/2	0.07
592/4	0.28
507	0.14
544/1	0.14
527/1	0.11
547/2	0.05
527/2	0.11
542/3	0.08
504/2	0.09
543	0.59
544/2	0.18
546/1	0.11
542/2	0.15
504/1	0.21
591	0.49
593/2	0.14
593/4	0.14
601/1	0.48
464	0.13
454	0.23
463/1	0.05
463/2	0.14
463/3	0.16
462/1	0.14
462/2	0.07
461/1	0.35
459/2	0.30
533	0.27
393	0.06
506/1	0.25
459/1	0.25
391/1	0.15
608/1	0.16
609	0.45
391/2	0.23
389/1	0.33
389/2	0.33
634	0.61
635	0.07
636	0.05
645	0.31
548	0.03

	(1)	(2)
	633	0.05
योग	56	11.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5830/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जंगलपुर, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.19 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	75	0.32
	184/1	0.22
	183	0.09
	181	1.28
	178	0.15
	192	0.14
	228	0.87
	193/1	0.02
	227/2	0.15
	230/2	0.17
	230/1	0.17
	240/1	0.14
	240/2	0.14
	238/2	0.04
	239/2	0.26
	244	0.02
	237	0.23
	245/4	0.19
	243	0.21
	71	1.38
योग	20	6.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5831/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरगोंदी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
949/7	0.01
949/8	0.23
949/1	0.01
949/6	0.23
949/5	0.02

	(1)	(2)
	949/2	0.26
	227/1	0.21
	239	0.02
	227/2	0.22
	228	0.45
	225	0.04
	236/1	0.01
	236/2	0.01
	237	0.32
	947/2	0.10
	950/1	0.22
योग	16	2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5832/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपथरा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	6/4	0.26
	109	0.29
	6/3	0.21
	6/5	0.12
	5/2	0.26
	1/3	0.14
	2	0.02
	1/1	0.12
	1/2	0.09
	3	0.03
	75/2	0.14
	75/1	0.08
	4/4	0.08
	74/1	0.13
	84	0.28
	90/1	0.26
	89	0.15
	87	0.25
	116	0.11
	111	0.17
	88	0.22
	110	0.11
	118	0.14
	120/1	0.21
	117	0.02
योग	25	3.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5833/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चंदैनीडीह, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	16	0.15
योग		0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासुलजोब जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक/5834/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झालाटोला, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	145/2	0.15
	68/2	0.05
	244	0.51
	264/4	0.28
	262/2	0.17
योग		1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झालाटोला जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 06/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कामनबोड़, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/2	0.191

(1)	(2)
130/3	0.173
130/4	0.173
129	0.198
112/5	0.016
121/1	0.032
121/41	0.106
112/40	0.185
112/45	0.085
98/8	0.042
112/4	0.151
112/33	0.185
112/35	0.012
112/18	0.095
112	0.079
112/20	0.053
98/3	0.095
98/6	0.042
108/1	0.106
107	0.045
108/3	0.045
112/15	0.015
112/24	0.095
98/7	0.042
98/2	0.013
100/2	0.079
112/58	0.049
98/4	0.063
82	0.079
योग 29	2.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 14/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बानो, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.422 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161/1	0.012
162	0.077
163	0.113
164/1	0.101
164/2	0.061
152	0.138
151	0.150
143	0.158
168	0.146
169	0.219
174	0.166
199	0.146
200	0.227
198	0.239
197/8	0.024
196/2	0.032
196/3	0.044
196/4	0.085
196/7	0.008
196/6	0.142
195/1, 195/2	0.101
268	0.377
270/1	0.061
270/4	0.008
270/3	0.081
270/2	0.223
283/1	0.077
282/1	0.065
282/2	0.101
280/8	0.040
योग 30	3.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 26/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बबई, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.501 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	376/1	0.006
	176/7	0.024
	174/2	0.012
	172/1	0.026
	170	0.004
	167/1	0.027
	490/6	0.153
	505/2	0.179
	176/1	0.010
	168/2	0.030
	168/1	0.030
योग	11	0.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना अंतर्गत खैरबना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 28/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-रक्से, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	374/5	0.210
	374/8	0.024
योग	02	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना अंतर्गत खैरबना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 02/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.954 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23	0.238
	71	0.079
	72	0.095
	76/2	0.158
	76/1	0.290
	75	0.047
	78/1	0.047
योग	07	0.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 15/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-केजादाह, प. ह. नं. 51

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.755 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
160/1	0.073
159/1	0.111
148/1	0.097
44	0.093
158/3	0.069
150/2	0.036
150/5	0.036
150/3	0.024
150/4	0.057
150/7	0.024
154	0.125
155	0.073
148/3	0.044
148/4	0.048
148/5	0.093
148/6	0.057
148/11	0.036
148/7	0.048
147/17	0.008
147/6	0.044
138/6	0.057
138/8	0.028
194/2	0.081
198/7	0.129
201/1	0.037
198/6	0.211
199/1	0.097
199/5	0.008
199/6	0.020
199/7	0.097
262/1	0.081
262/2	0.053
262/5	0.081
262/7	0.053
268/1	0.081
268/2	0.081
266/2	0.073
265/1	0.073
66/2	0.109
67	0.073
68	0.138
158/1	0.073
69	0.053
43/2	0.117

(1)	(2)
148/9	0.073
42/7	0.093
32/3	0.073
33	0.012
31/4	0.073
31/12	0.016
31/11	0.052
31/3	0.125
31/8	0.004
31/10	0.057
148/10	0.105
147/3	0.081
147/4	0.008
147/13	0.121
13/1	0.235
268/3	0.081
268/4	0.085
268/8	0.053
31/9	0.081
29	0.227
योग 64	4.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 01/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 01/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अंनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	साड़गुड़/16	182	0.25
			286	0.14
			290	0.04
			291	0.1
			784	0.02
			785	0.02
			787	0.06
			789	0.06
			792	0.08
			803	0.08
			1054	0.11
			1057	0.02
			1069	0.03
			1070/1	0.23
			1070/2	0.23
			1070/3	0.24
			1071	0.20
			1072	0.03
			1073	0.02
			1066/4	0.04
			1067/1	0.05
			1067/3	0.03
			181	0.05
			योग	**2.13**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 02/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 02/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (ए. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	हाटपदमुर/18	67	0.03
			68	0.05
			69	0.01
			70	0.02
			71	0.06
			72	0.10
			73	0.02
			81	0.14
			82	0.02
			83	0.05
			89/1	0.06
			89/2	0.05
			91	0.11
			94	0.04
			123/1	0.013
			123/2	0.013
			123/3	0.012
			123/4	0.012
			126	0.05
			130	0.05
			136	0.02
			139	0.02
			163	0.15
			166	0.03
			164	0.16
			129	0.01
			138	0.01
			योग	1.31

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ

(नियम-6)

क्रमांक 03/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 03/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	बुरूंगपाल/10	31	0.09
			50	0.04
			57/1	0.03
			57/2	0.02
			71	0.03
			74	0.06
			80	0.03
			83/1/2	0.04
			83/2	0.12
			159/1	0.02
			159/2	0.01
			160	0.04
			161	0.01
			166	0.01
			167	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			168	0.03
			170/1	0.01
			170/2	0.01
			188/1/1	0.003
			188/1/2	0.003
			188/2	0.004
			190	0.04
			191	0.03
			396	0.04
			398	0.06
			409	0.03
			415	0.04
			430	0.05
			73	0.02
			82	0.01
			144	0.05
			169	0.04
			411	0.02
			422	0.03
			427	0.09
			431	0.13
			51	0.01
			84/1	0.06
			84/2	0.05
			417	0.08
			योग	**1.50**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 04/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 04/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	पुसपाल/17	434	0.15
			435	0.01
			436	0.15
			451	0.08
			452	0.13
			460/1	0.005
			460/2	0.005
			460/3	0.005
			460/4	0.005
			461	0.09
			466	0.15
			467	0.02
			491/1	0.005
			491/2	0.005
			492	0.12
			718	0.06
			723	0.05
			706	0.02
			450	0.02
			719/1	0.02
			719/3	0.02
			योग	**1.12**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 05/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 05/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
बस्तर	तोकापाल	डोंगरीगुड़ा/10	280	0.04
			281	0.02
			284	0.09
			289	0.12
			290	0.05
			291	0.05
			292	0.10
			295	0.04
			296	0.15
			299	0.02
			300	0.04
			301	0.08
			303	0.06
			304	0.10
			योग	**0.96**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 06/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर की अधिसूचना क्रमांक 06/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	जोजल/17	73	0.15
			76	0.01
			87	0.01
			88	0.25
			93	0.05
			95	0.07
			109	0.04
			110	0.08
			125	0.06
			126	0.05
			140	0.13
			141/1	0.06
			141/2	0.60
			142/1	0.10
			142/2	0.45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			143	0.05
			144	0.01
			156	0.07
			185/1	0.035
			185/2	0.035
			190	0.16
			192/1	0.24
			192/2	0.24
			योग	**2.95**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 07/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 07/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	जमावाड़ा/15	1	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3	0.02
			4/1	0.033
			4/2	0.032
			4/3	0.032
			4/4	0.033
			6	0.04
			179	0.11
			207	0.08
			208	0.10
			222	0.38
			224	0.09
			270	0.01
			272	0.08
			274	0.08
			313	0.11
			316	0.03
			320	0.03
			321	0.07
			322	0.04
			323	0.04
			325	0.04
			327	0.09
			328	0.05
			15	0.03
			186	0.08
			187/1	0.033
			187/2	0.032
			187/3	0.032
			187/4	0.033
			188	0.01
			189	0.03
			269/1	0.04
			269/2	0.04
			योग	**2.08**

जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 08/प्र./अ.वि.अ. (रा.)/अ-82/08-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक 08/अविअ/भू.पा.ला./अ-82/2008-09 दिनांक 27-01-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुड़ा तहसील तोकापाल जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	उलनार/16	1	0.04
			2	0.03
			14/1	0.025
			14/2	0.025
			261	0.04
			262	0.10
			296	0.09
			297/1	0.06
			297/2	0.06
			297/3	0.06
			298	0.06
			299	0.02
			308	0.12
			263	0.08
			योग	**0.81**

जोगेन्द्र नायक,
सक्षम प्राधिकारी/
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th July 2009

No. 442/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The Sessions Judge, Bilaspur shall also be the Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur, in addition to work of Sessions Judge, with immediate effect, until further orders.

Bilaspur, the 8th July 2009

No. 444/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) shall also be the Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Surguja (Ambikapur), in addition to work of Sessions Judge, with immediate effect, until further orders.

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2009

क्रमांक 5051/तीन-6-2/2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर निम्नलिखित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

अनु. (1)	न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	सिविल जिला (4)
1.	श्री शहाबुद्दीन कुरैशी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	नगरी	धमतरी
2.	श्रीमती हिमांशु जैन, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	धमतरी	धमतरी

No. 5051/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Shahabuddin Qureshi, Judicial Magistrate First Class.	Nagari	Dhamtari
2.	Smt. Himanshu Jain, Judicial Magistrate First Class.	Dhamtari	Dhamtari

बिलासपुर, दिनांक 10 जुलाई 2009

क्रमांक 5150/तीन-22-6/2000 (नारायणपुर-कोण्डागांव).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 488/तीन-22-6/2000, दिनांक 19-01-2006 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नारायणपुर की श्रृंखला न्यायालय कोण्डागांव से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 5150/III-22-6/2000 (Narayanpur-Kondagaon).—The Notification No. 488/III-22-6/2000 dated 19-01-2006 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II & J. M. F. C., Narayanpur at Kondagaon is hereby cancelled.

Bilaspur, the 20th July 2009

No. 5345/JOTI/2nd Part Ind/2008 2nd Batch/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute, (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 27-07-2009 by 4.00 P. M. for undergoing the second Part of Institutional Training Programme to be held from 28th July 2009 to 26th August 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Achchhey Lal Kachhi	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
2.	Ku. Smita Ratnawat	I Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Shri Amit Rathor	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
4.	Shri Sumit Kapoor	II Civil Judge Class-II, Raigarh
5.	Shri Krishnpal Singh Bhaduria	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Om Prakash Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
7.	Shri Santosh Kumar Mahobiya	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
8.	Ku. Mona Sonwani	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
9.	Ku. Vandana Verma	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Santosh Thakur	I Civil Judge Class-II, Durg
11.	Shri Narendra Kumar	X Civil Judge Class-II, Bilaspur
12.	Ku. Monika Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Deepak Kumar Koshle	I Civil Judge Class-II, Bemetara
14.	Shri Damarudhar Chouhan	XIV Civil Judge Class-II, Raipur
15.	Shri Roop Narayan Pathare	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
16.	Shri Pankaj Alok Tirkey	XV Civil Judge Class-II, Raipur
17.	Shri Anil Kumar Pandey	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
18.	Shri Ashok Kumar Lal	X Civil Judge Class-II, Durg
19.	Shri Jitendra Kumar Singh	XVI Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
20.	Ku. Rashmi Mandavi	XI Civil Judge Class-II, Durg
21.	Ku. Yashoda Kashyap	XII Civil Judge Class-II, Durg
22.	Ku. Kiran Shukla	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
23.	Shri Avadh Kishore	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
24.	Shri Sanjay Agarwal	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
25.	Shri Avinash Kumar Tripathi	V Civil Judge Class-II, Raipur
26.	Smt. Shyamwati Maravi	V Civil Judge Class-II, Durg
27.	Smt. Sushma Lakra	IX Civil Judge Class-II, Durg
28.	Shri Anil Prabhat Minj	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
29.	Shri Ajay Kumar Xaxa	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
30.	Shri Digvijay Singh	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
31.	Shri Agam Kumar Kashyap	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
32.	Shri Shriniwas Tiwari	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur
33.	Shri Mohan Singh Korram	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.

The above mentioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with tnem the following books :—

(A) Code of Civil Procedure,
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code Rules & Orders-Civil & Criminal
(F) Stamp & Court Fees Act
(G) Arms Act
(H) C. G. Excise Act
(I) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

Bilaspur, the 27th July 2009

No. 470/Condl./2009/II-2-1/2009.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division

mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri A. K. Samant Ray, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District & Sessions Judge vice Shri C.L.S. Tekam.

बिलासपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्रमांक 5677/तीन-22-1/2009 (चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 655/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चिरमिरी की श्रृंखला न्यायालय मनेन्द्रगढ़ से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 5677/III-22-1/2009 (Chirmiri-Manendragarh).—The Notification No. 655/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II & J. M. F. C., Chirmiri at Manendragarh is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्रमांक 5679/तीन-22-1/2009 (छुईखदान-खैरागढ़).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 644/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008, जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, छुईखदान की श्रृंखला न्यायालय खैरागढ़ से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 5679/III-22-1/2009 (Chhuikhadan-Khairagarh).—The Notification No. 644/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II & J. M. F. C., Chuikhadan at Khairagarh is hereby cancelled.

Bilaspur, the 30th July 2009

No. 479/Condl./2009/II-2-3/2002.—The following District Judge (Entry Level) as specified in Column No. (2) are hereby appointed on the post of District Judge (Selection Grade) (in pay scale of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850) from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Selection Grade) (3)
1.	Shri Akhil Kumar Samant Ray, Additional Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	25-03-2009

(1)	(2)	(3)
2	Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Korba	25-03-2009
3.	Shri Ram Prasanna Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur,	25-03-2009
4.	Smt. Ranoo Diwekar, I Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	25-03-2009
5.	Shri Ashok Kumar Goyal, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Raipur.	25-03-2009
6.	Shri Pradeep Kumar Dave, Judge, Family Court, Manendragarh,	25-03-2009
7.	Shri Arvind Singh Chandel, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	25-03-2009
8.	Shri Gautam Chouradia, Member-Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.	25-03-2009
9.	Shri Shiv Mangal Pandey, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	25-03-2009
10.	Shri Ramesh Kumar Rathi, Additional Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	25-03-2009
11.	Shri Anand Kumar Beck, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	25-03-2009
12.	Smt. Vimla Singh Kapoor, Judge, Family Court, Janjgir-Champa	25-03-2009
13.	Shri Sanjay Sendray, Judge, Family Court, Korba	25-03-2009

Note : Though Shri M. D. Katulkar and Shri A. K. Beck are entitled to Selection Grade Scale w.e.f. 25-03-2009 but at present they shall draw the said scale w.e.f. 02-04-2009 and 14-05-2009 respectively. They shall draw the said Scale for the period from 25-03-2009 to 01-04-2009 and 25-03-2009 to 13-05-2009 respectively only on receipt of necessary communication in that regard from the High Court.

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 14th July 2009

No. 124/L. G./2009/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby granted earned leave for 05 days from 03-08-2009 to 07-08-2009 and permission to prefix holiday of 2nd August 2009 & suffix holidays of 08th & 09th August 2009 along with the permission to leave headquarters from the evening of 02nd August 2009 till evening of 09th August, 2009.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 77 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 27th July 2009

No. 128/L. G./2009/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Pandey, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 08 days from 31-07-2009 to 07-08-2009 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pandey, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 238 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th July 2009

No. 129/L. G./2009/II-2-3/2005.—Shri C. L. Patel, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 06 days from 17-08-2009 to 22-08-2009 and permission to prefix holidays of 15th & 16th August 2009 along with permission to come to Bilaspur & to remain out of headquarters from afternoon of 15-08-2009 till 22-08-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patel had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 240+14 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th July 2009

No. 130/L. G./2009/II-2-17/2004.—Shri Sanman Singh, presently posted as District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 08 days from 06-08-2009 to 13-08-2009 and permission to prefix holidays of 05-08-2009 (Raksha Bandhan) & suffix holiday of 14-08-2009 (Janmashtami) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 240+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.